सं० ओ० वि०/कुरु/59-87/45937.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० दी कुरुक्षेत्र सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक, लि०, कुरुक्षेत्र के श्रमिक श्री जोगिन्द्र सिंह, पुत्र श्री प्यारा सिंह, गांव जरासी खुर्द, तहसील पेहवा, जिला कुरुक्षेत्र तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44) 84-3 श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :--

क्या श्री जोगिन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/गुड़गांव/185-87/45943.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० (1) उपायुक्त, नारनौल, जिला महेन्द्रगढ़ (2) नगरपालिका बावल (महेन्द्रगढ़) के श्रमिक श्रीमति सरबती देवी, पत्नी श्री फकीर चन्द मार्फत श्री भीम सिंह यादव, 1-सी/46-ए, एन. आई. टी., फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :--

क्या श्रीमति सरबती देवी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार है ?

सं० ओ० वि०/अम्बाला/112-87/45953.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० कोन्वेन्ट आफ जिसिस एण्ड मैरी, अम्बाला मार्फत सीनियर सुपीरियर मैनेजर, 121, स्टाफ रोड, अम्बाला छावनी के श्रमिक श्रीमति बिमला, पत्नी श्री दर्शन लाल, मकान नं० 12/ए, दलीप गढ़, भुर मण्डी, अम्बाला छावनी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3(44) 84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्रीमति बिमला की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार है ?

सं० ओ० वि०/एफ०डी/181-87/46149.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै० इण्डस्ट्रीयल गेजिज, प्रा० लि०, प्लाट नं० 10/2, राम सरूप कालोनी, मजेसर, (फरीदाबाद), के श्रमिक श्री जगदीश चन्द मार्फत श्री अमर सिंह शर्मा, [illegible]र यूनियन आफिस, एस०एस०आई० 1क/14, एन० आई० टी०, फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित [illegible] सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :-

क्या श्री जगदीश चन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/रोह/117-87/46156.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़, (2) महा प्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, रोहतक, के श्रमिक श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री राम चन्द, मकान नं० 127/2, राम नगर, टोहाना, जिला हिसार तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री ओम प्रकाश हैल्पर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/रोह/116-87/46164.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़, (2) महा प्रबन्धक, राज्य परिवहन, रोहतक, के श्रमिक श्री राज पाल, पुत्र श्री रणबीर सिंह, गांव बेरी, [illegible], जिला रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 9641-1-श्रम-78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री राजपाल हैल्पर की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक 18 नवम्बर, 1987

सं० ओ० वि०/कुरुक्षेत्र/43-87/46396.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० (1) मैनेजिंग डायरेक्टर दी हरियाणा स्टेट कोपरेटिव हाऊसिंग फाईनेंस लि०, कोठी नं० 217, सैक्टर 9 सी, चण्डीगढ़। (2) सहायक विकास अधिकारी कोपरेटिव हाऊसिंग सोसाईटी लि०, कोठी नं० 1110, हाऊसिंग बोर्ड, कुरुक्षेत्र के श्रमिक श्री सज्जन कुमार मार्फत [illegible] सिंह, [illegible] भारतीय मजदूर संघ, जी० टी० रोड, पानीपत तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 3(44)84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री सज्जन कुमार को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/गुड़गांव/36-87/46403.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि (1) परिवहन आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़, (2) महा प्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, गुड़गांव, के श्रमिक श्री सोमदत्त हलवाई मार्फत श्री एस. एन. वत्स गली, डाकखाना रोहतक तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले हैं अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

क्या श्री सोमदत्त हलवाई की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत की हकदार है ?

आर० एस० अग्रवाल,

उप सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।

DEVELOPMENT AND PANCHAYAT DEPARTMENT

The 16th December, 1987

No. DPH-LA-1-87/411.—In partial modification of Haryana Government Development and Panchayats Department, Notification No. DPH-E1-83/130, dated 31st May, 1983 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 4 and section 5 of the Punjab Gram Panchayat Act, 1952 (Punjab Act 4 of 1953) and all other powers enabling him in this behalf, and in supersession of all the previous notifications issued in this behalf, the Governor of Haryana hereby declares the village or group of villages specified in column 2 of the schedule given below to be Sabha Area by the name specified against in column 5 of the said schedule, which shall consist of such number of Panches, including Sarpanch, as specified against the Gram Panchayat in column 6 thereof out of which the number of Panches belonging to the scheduled castes shall be as mentioned in column 7 of the said scheduled :—

SCHEDULE

Sr. No.	Name(s) of village(s) constituting Sabha Area	Block	District	Name of Gram Panchayats	No. of Panches including Sarpanch	No. of Panches belonging to S/C
1	2	3	4	5	6	7
204	Mathana	Thanesar	Kurukshetra	Mathana	8	2
204A	Maneerpur	Thanesar	Kurukshetra	Maneerpur	5	1